न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 05/2016,

सदानंद सिंह, ग्राम पंचायत– ऐना,

प्रखंड व थाना– महिषी, जिला– सहरसा,

बनाम

बिहार सरकार

–::आदेश::–

09.12.2019

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ आवेदक की ओर से दाखिल आवेदन के आलोक में किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1905/गो०, दिनांक 02.09.16 के विरूद्ध है।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1905/गो०, दिनांक 02.09.16 के आदेश में अंकित है कि–

श्री नारायण यादव एवं अन्य ग्राम पंचायत– मंगरौनी के परिवाद पत्र के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी के द्वारा श्री सदानंद सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत– ऐना, प्रखंड– महिषी की दुकान की जांच की गई। जांच के समय उपभोक्ताओं का बयान प्राप्त कर इन्होंने अपने पत्रांक 1088–2 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 1771/गो० दिनांक 10.09.2014 के द्वारा श्री सदानंद सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत– ऐना, प्रखंड– महिषी से कारण पृच्छा की गई। पुनः श्री अरूण सादा एवं अन्य 34 लाभुकों के शिकायत पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2156–2 दिनांक 19.09.2014 द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर सहरसा को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। इन्होंने अपने पत्रांक 2220–2 दिनांक 29.09.2014 द्वारा विक्रेता श्री सदानंद सिंह के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन समर्पित किया। विक्रेता श्री सिंह द्वारा दिनांक 11.10.2014 को कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। किये गये प्रथम कारण पृच्छा का जवाब असंतोषप्रद रहने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 1871/गो० दिनांक 29.08.2016 के द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब आज तक अप्राप्त है।

इस प्रकार प्रथम कारण पृच्छा असंतोषप्रद एवं द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दाखिल नहीं करने से स्पष्ट होता है कि श्री नारायण यादव एवं अन्य ग्राम– मंगरौनी के द्वारा श्री सदानंद सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत– ऐना, प्रखंड– महिषी के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित है। गंभीर अनियमितता के लिए विक्रेता की दूकान की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने का प्रावधान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2001 में वर्णित नियमों के तहत भी समीक्षा की गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में पारित न्यायादेश में भी वर्णित है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न निर्धारित मात्रा से कम देकर निर्धारित दर से अधिक कीमत लेते हैं, खाद्यान्न की कालाबाजारी में संलिप्त रहते हैं, नियमित दूकान नहीं खोलते हैं तो सम्बन्धित प्राधिकारी को ऐसे मामले में किसी प्रकार की उदारता (Laxity) नहीं दिखानी चाहिए और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाना चाहिए। श्री सिंह के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

लगातार

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा– 3 सह–पठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2001 एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना 2007 के तहत् प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सदानंद सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम पंचायत ऐना, प्रखंड– महिषी की अनुज्ञप्ति संख्या 354/2007 को तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जाती है।

ह०/–
अनुमंडल पदाधिकारी
सदर सहरसा।

आवेदक द्वारा उक्त पारित आदेश पर आपत्ति प्रकट कर कहना है कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया। पूछे गये कारण पृच्छा के साथ, जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण उनके ओर से संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय इस तथ्य की भी अनदेखी की गई कि जांच पदाधिकारी द्वारा जांच इनके उपस्थिति में नहीं किया गया है। साथ ही, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन्हें बिना सुने अपना आदेश पारित कर दिया गया है।

आवेदक द्वारा मुख्यतः इसी के साथ सी०डब्लू०जे०सी० 19406 वर्ष 2014 के आदेश की प्रति दाखिल करते हुए उक्त उल्लेखित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1905/गो०, दिनांक 02.09.16 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

दूसरी ओर, विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदक से पूछे गये कारण पृच्छा में, लाभुकों द्वारा लगाये गये आरापों का विस्तृत उल्लेख है। अतः आवेदक का यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि उन्हें आरोपों से अवगत नहीं कराया गया। साथ ही, अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में अंकित है कि आवेदक द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब भी समर्पित नहीं किया गया। उक्त स्थिति में स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ही अपना पक्ष रखने में कोताही बरती गयी है। लोक अभियोजक द्वारा मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1905/गो०, दिनांक 02.09.16 को विधिसम्मत् बताकर संपुष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभयपक्ष को सुना तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2001 यथा संशोधित 2004 के कंडिका 07 में अनुज्ञप्ति के निलंबन तथा रद्दीकरण का प्रावधान है, जिसके अनुसारः–

" 1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित स्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कारवाई की जायेगीः–

Licensees, who

a) do not keep their shops open throughout the month during the stipulated period,

b) fail to provide grain to BPL families strictly at BPL rates and no higher,

c) keep the cards of BPL household with them,

d) make false entries in the BPL cards,

e) engage in black marketing of siphoning away grains to the open market

and hand over such ration to such other person/organisations shall make

लगातार

themselves liable for cancellation of their license. The concerned authorities/functionaries would not show any laxity on the subject.

II. यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रावधान अथवा अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों या अपने किसी दायित्वों एवं कर्त्तव्यों या राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियिम–10) के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना उसकी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द की जा सकेगी।''

उपरोक्त विवेचन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि अनुप्तिधारी अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने में विफल रहे। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी ने अति सूक्ष्मता के साथ लगाये गये आरोपों का विवेचन करते हुए एवं आरोप की गंभीरता को घ्यान में रखते हुए आवेदक के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया, जो नियमानुकूल है।

इस प्रकार समीक्षोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः आवेदक का अपील आवेदन खारिज किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक– 1905/गो०, दिनांक 02.09.16 को संपुष्ट किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 19 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 13.01.20

प्रतिलिपि :– श्री सदानंद सिंह (रद्द) ज०वि०प्र०विक्रेता ऐना से संबंधित मूल अभिलेख के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
13/01/20

लगातार